

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013—आश्विन 12, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 3 (06)-2008-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा, डॉ. नवीन कुमार तिवारी को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति, रीवा संभाग में सदस्य के पद पर नियुक्त करती है।

No. F. 3 (06) 2008-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government on the recommendation of the Lokayukt, hereby, appoints Dr. Navin Kumar Tiwari as a member of the Divisional Vigilance Committee, Rewa Division for the period of three years from the date of Joining.

क्र. एफ. 3 (09)-2007-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा, श्रीमती नीता पहारिया को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति, ग्वालियर संभाग में सदस्य के पद पर पुनः नियुक्त करती है।

No. F. 3 (09) 2007-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, on the recommendation of the Lokayukt, hereby re-appoint Smt. Neeta Pahariya as a member of the Divisional Vigilance Committee, Gwalior Division for the period of three years from the date of Joining.

क्र. एफ. 3 (14)-2010-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा, श्रीमती शर्मिष्ठा दवे को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति, इन्दौर संभाग में अध्यक्ष के पद पर पुनः नियुक्त करती है।

No. F. 3 (14) 2010-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, on the recommendation of the Lokayukt, hereby re-appoint Smt. Sharmishtha Daway as Chairperson of the Divisional Vigilance Committee, Indore Division for the period of three years from the date of Joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कौल, उपसचिव.